



राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प०क० विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग
राजस्थान, जयपुर

E-mail : pd-mmjrk-rj@nic.in, co_mmjrk.nrhm@yahoo.in Tel. No. 0141-5110731

एफ29(73)एनआरएचएम/एमएमजेआरके/बीपीएल काउण्टर स्टाफ/10/ 485 दिनांक : 8/7/17

स्वीकृति आदेश

मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के अन्तर्गत जिलो में कार्यरत संविदा कार्मिको यथा-कम्प्यूटर ऑपरेटर, फार्मासिस्ट एवं लेखाकर्मियों की समयावधि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये दिनांक 28.02.2017 तक अथवा नियमित सृजित पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति होने तक जो भी पूर्व मे हो तक निम्न विवरण तालिका के अनुसार इस शर्त के साथ बढ़ाई जाती है कि उक्त कार्मिकों की सेवायें वित्त विभाग के परिपत्र संख्या प.1(4)वित्त/नियम/2011 पार्ट सेकण्ड, दिनांक 27.06.2014 के दिशा-निर्देशानुसार ली जायेगी।

S. No.	Name of District	Computer Operator	Pharmacist	Accounts Clerk	Total
1	Ajmer	16	3	3	22
2	Alwar	3	3	2	8
3	Banswara	6	0	1	7
4	Baran	5	0	0	5
5	Barmer	7	0	0	7
6	Bharatpur	3	3	1	7
7	Bhilwara	5	0	0	5
8	Bikaner	11	3	2	16
9	Bundi	5	0	0	5
10	Chittorgarh	4	2	1	7
11	Churu	9	3	1	13
12	Dausa	5	0	0	5
13	Dholpur	3	0	0	3
14	Dungarpur	5	1	1	7
15	Ganganagar	5	1	0	6
16	Hanumangarh	5	1	0	6
17	Jaipur I	44	10	2	56
18	Jaipur II	2	2	1	5
19	Jaisalmer	4	3	4	11
20	Jalore	3	1	1	5
21	Jhalawar	4	1	0	5
22	Jhunjhunu	6	0	1	7
23	Jodhpur	26	10	2	38
24	Karauli	5	0	0	5


Armed,

S. No.	Name of District	Computer Operator	Pharmacist	Accounts Clerk	Total
25	Kota	18	4	2	24
26	Nagaur	10	8	4	22
27	Pali	6	1	0	7
28	Pratapgarh	5	1	0	6
29	Rajasamand	8	1	1	10
30	Sikar	3	3	1	7
31	Sirohi	2	1	0	3
32	S. Madhopur	5	1	0	6
33	Tonk	5	1	0	6
34	Udaipur	12	2	2	16
TOTAL		265	70	33	368

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के तहत प्रदान की जाती है -

1. उक्त पदों की स्वीकृति चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालयों, जिला चिकित्सालयों एवं उप खण्ड/सैटेलाईट चिकित्सालयों से प्राप्त कार्यरत संविदाकर्मीयों की सूचना के आधार पर सेवा अवधि में वृद्धि की जा रही है।
2. उक्त पदों में एमएमजेआरके के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत संविदाकर्मीयों के पद सम्मिलित नहीं है।
3. कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत संविदाकर्मीयों को प्रतिमाह मानदेय की राशि इस विभाग के स्वीकृति आदेश क्रमांक 444, दिनांक 22.05.2015 के अनुसार दी जावेगी।
4. संविदा लेखाकर्मीयों (सेवानिवृत्त कर्मचारी) को कार्मिक विभाग, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर लिया जावेगा।
5. इन संविदाकर्मीयों को देय मासिक पारिश्रमिक की राशि मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत वहन की जावेगी।
6. जिन चिकित्सा संस्थानों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध संविदाकर्मीयों के पद खाली है अथवा पद नये स्वीकृत किये गये है उन चिकित्सा संस्थानों को वित्त विभाग के परिपत्र प.1(4) वित्त/नियम/2011, दिनांक 27.06.2014 के अनुसरण में संविदाकर्मीयों की सेवा लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के मध्य में यदि कोई संविदाकर्मी सेवा छोड़ देता है तो उसके रिक्त पद को भी वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 27.06.2014 की शर्तों अनुसार भरा जावे।


उपरोक्त संविदाकर्मीयों की स्वीकृति संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग के आईडी क्रमांक 101601864, दिनांक 17.05.2016 के क्रम में जारी की जाती हैं।


 (सुरभि भार्गव)
 परियोजना निदेशक
 मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।

4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
8. निजी सचिव, सचिव (व्यय), वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
11. समस्त प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय, राजस्थान।
12. समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, राजस्थान।
13. निदेशक, आईईसी/जन स्वास्थ्य/परिवार कल्याण/एड्स, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
14. परियोजना निदेशक, एनएचएम/एमएमजेआरके, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
15. निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
16. शासन संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
19. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
20. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय/सैटेलाईट/उप खण्ड चिकित्सालय, राजस्थान।
21. समस्त ब्लॉक सीएमएचओ/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान।
22. अनुभाग अधिकारी, एचआर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
23. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को भेजकर लेख है कि स्वीकृति आदेश की प्रति संबंधित जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों को तथा सैटेलाईट/उप खण्ड चिकित्सालयों के प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों को उपलब्ध करवाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करावें।
24. ईन्चार्ज सर्वर रुम, एनआरएचएम, स्वास्थ्य भवन, जयपुर को भेजकर लेख है कि संबंधित को ई-मेल करवाने का श्रम करावें एवं विभाग की संबंधित वेबसाइट तथा एमएमजेआरके के सॉफ्टवेयर में अपलोड करावें।
25. रक्षित पत्रावली।


 (सुरभि भार्गव)
 परियोजना निदेशक
 मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष